B.A Part - II , Paper - III

1948 की औद्योगिक नीति

1948 Industrial policy :-

किसी भी राष्ट्र को उचित एवं तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सुनिश्चित, सुनियोजित एवं प्रेरणादायक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है क्योंकि पूर्व घोषित औद्योगिक नीति के आधार पर ही कोई भी राष्ट्र अपने उद्योगों का आवश्यक मार्ग दर्शन एवं निर्देशन करता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में प्राकृतिक साधन अपार मात्रा में है लेकिन उनके समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। पूंजी सीमित मात्रा में है अतः उसका उचित उपयोग करना है। औद्योगिक शक्ति के केन्द्रीकरण के समाप्त कर तथा श्रमिकों को उचित हिस्सा दिलाकर देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना करनी होती है इन सभी बातों को देखते हुए देश में एक उचित एवं निश्चित औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। देश का संतुलित विकास करने के लिए प्रसाधनों को उचित दिशा में प्रवाहित करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिए, एकाधिकार संयोजन और अधिकायुक्त हितों को समाप्त करने अथवा नियंत्रित करने के लिए कुछ गिने व्यक्तियों के हाथों में धन अथवा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए, असमानताएं घटाने के लिए, बेरोजगारी के समस्या को दूर करने के लिए विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए एक उपयुक्त औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। इसलिए उद्योगों का संतुलित सर्वांगीण विकास करने के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया।

P.T.O

6 अप्रैल सन 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं पूर्ति मंत्री डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति मे स्पष्ट किया गया कि आगामी कुछ वर्षों मे सरकार विद्यमान औद्योगिक इकाईयो का राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर अपने कार्य क्षेत्र मे नई उत्पादन इकाईया स्थापित करेगी और देश मे निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र साथ साथ कार्य करेगे।